न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 41/2022 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/131

उनवान

1. श्री उंकार पिता मानजी मीणा उम्र बालिग
2. श्री तेजीया पिता मानजी मीणा उम्र बालिग
3. श्री चन्दु पिता मानजी मीणा उम्र बालिग
4. सभी निवासीयान उंची मगरी धावडा, हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर।

–वादीगण

बनाम

1. श्री गोता पिता नानजी मीणा उम्र बालिग
2. श्रीमती देवली पत्नी गोता मीणा उम्र बालिग
   निवासीयान उंची मगरी धावडा, हाल तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर।
3. भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा जिला सलूम्बर

–प्रतिवादीगण

कलेक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व धारा 151 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 10/09/25

उपस्थितिः श्री गोतमलाल मीणा अधिवक्ता–वादीगण
श्री परमानन्द मेहता अधिवक्ता– प्रतिवादी संख्या 1, 2

पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 व धारा 151 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा द्वारा प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 व धारा 151 के अन्तर्गत प्रार्थना प्रस्तुत कर वादपत्र पर कार्यवाही स्थगित करते हुए पूर्व से चल रहे प्रकरण संख्या 31/2020 से साथ संमेकित किये जाने हेतु निम्न प्रकार निवेदन किया–

1. यह कि मामले के वादीगण ने मौजा धावडा के आराजी नम्बर 913 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 989/912 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जबकि वे इन भूमियों के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नही है, अपितु भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 होकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो काबिज काश्त है।
2. यह कि उक्त भूमि वादीगण की नही अपितु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खोतदारी अधिकार एवं आधिपत्य की होने से प्रतिवादी की भूमि पर वादीगण दखल पैदा कर रहे है जिससे आहत होकर मामले के प्रतिवादी ने इसी मामले के वादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसके मु.नं. 31/2020 रा.वा. होकर मामला प्रतिवादी के जवाब दावे में अंतिम अवसर की स्टेज पर लम्बित है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

3. यह कि हस्तगत मामले से पूर्व हि इस मामले के वादीगण के विरूद्ध इसी जमीन व इन्ही पक्षकारों के मध्य पहिले से वाद लम्बित है, ऐसी स्थिति मे एक हि पक्षकारों के मध्य एक हि विषयवस्तु पर दो वाद एक साथ नहीं चलाये जा सकते है, इसलिये बाद मे प्रस्तुत वाद संख्या 41/2022 रा.वा. की कार्यवाही को रोक दिया जाना विधि अनुसार होगा। दोनो मामले आज हि पेशी हेतु नियत है।

4. अतः प्रार्थना है कि दोनो मामलो की पत्रावलीया आज हि नियत है जिनका अवलोकन फरमा प्रकरण संख्या 41/2022 रा.वा. की कार्यवाही को रोक दिये जाने व पूर्व से चल रहे वाद संख्या 31/2020 के साथ संलग्न कर दिये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण में वादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 व धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस कर निम्न प्रकार निवेदन किया– कि उक्त हाजा न्यायालय पर विचाराधीन दोनो दावे वाद संख्या 41/2022 एवं वाद संख्या 37/2020 में अनुतोष व विषयवस्तु की भिन्नता के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 व धारा 151 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिल–ए–खारिज है।

प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 व धारा 151 के प्रावधान का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है:–

10. Stay of suit.—

No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court.

***Explanation.**—The pendency of a suit in a foreign Court does not preclude the Courts in India from trying a suit founded on the same cause of action.*

Section 151 CPC-

Section 151 of the Civil Procedure Code (CPC), 1908, grants courts inherent powers to make such orders as are necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court.

प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पूर्ववर्ती व पश्चात्‌वर्ती वादपत्र की तुलना निम्न प्रकार है:–

परीक्षण का आधार	पूर्ववर्ती वाद	पश्चात्‌वर्ती वाद
वाद का प्रकार	राजस्व वाद	राजस्व वाद
शीर्षक	समान	
पक्षकार	समान	
आराजी	समान	
समक्ष न्यायालय	न्यायालय हाजा	
विषय–वस्तु	स्थाई निषेधाज्ञा, आदेशात्मक निषेधाज्ञा	स्थाई निषेधाज्ञा, आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की उक्त प्रावधान पर पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वादपत्र की तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में पत्रावली व प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 31/2020 रा.वा. के वादीगण पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व मौजा धावडा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 96 आराजी नम्बर 913, 989/912 कुल किता 2 रकबा 0.47 हैक्टेयर मे नाम दर्ज अंकित है जिन्हाने वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त वाद के वादीगण के विरूद्ध पेश किया गया है। जिसमे प्रतिवादीगण को सम्मन की सम्यक रूप से तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार वैष्णव हाजिर आये। उक्त प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब हेतु लम्बित है। जिससे जाहिर होता है कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 31/2020 रा.वा. की जानकारी पश्चातवर्ती उक्त वाद के वादीगण को थी।

उक्त विचाराधिन वाद के वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा, आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती उसी आराजीयात की भूमि हेतु पेश किया है। तथा अपने वादपत्र के अनुतोष की कलम संख्या (ब) मे अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जो भूमि एलोट की गई है उसमें वादीगण काबिज है उसमें प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे तथा आराजी नम्बर 989/912 रकबा 0.12 हैक्टेयर व आरजी नम्बर 913 रकबा 0.35 हैक्टेयर वादीगण के नाम दर्ज करावे। जिससे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को ऐलोट होने की स्वीकारोक्ती स्वयं वादीगण द्वारा दिया जाना प्रकट होता है।

हस्तगत प्रकरण में पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वादपत्र के अभिवचनो को सारतः समझते हुए विवाद के मुख्य विषय वस्तु का चिन्हीकरण किये जाने के पश्चात् न्यायालय दोनो दावो के विषय वस्तु, पक्षकार एवं वादग्रस्त आराजीयात की भूमि मे समानता पाता है। तथा पूर्ववर्ती वाद संख्या 31/2020 रा.वा. प्रतिवादीगण के जवाब हेतु लम्बित है। जिसमे प्रतिवादीगण को अपने हितो की रक्षा हेतु विधि अनुसार अवसर प्राप्त है। चूंकि दोनो वाद मे वादग्रस्त भूमि एवं पक्षकार एक ही है जिन्हे पृथक–पृथक चलाया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रतिवादीगण का उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 व धारा 151 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं उक्त वाद की कार्यवाही स्थगित कर न्यायालय हाजा मे विचाराधीन दावा संख्या 31/2020 रा.वा. के साथ संलग्न किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/09/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

(जगदिश चन्द्रे बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर